पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

FYUG के अन्तर्गत सत्र 2025–29 में नामांकन हेतु महाविद्यालयों के लिए दिशा–निर्देश ।

(1) **Selection list/offer letter** में विद्यार्थी द्वारा अंकित **Marks** का मिलान मूल अंक पत्र से सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। मिलान में अन्तर पाये जाने पर विद्यार्थी का नामांकन रद्द हो जाएगा।

(2) महाविद्यालय को नामांकन के समय छात्रों से निम्नांकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति से मिलान करने के उपरांत संबंधित कागजात की छायाप्रति लेना अनिवार्य है।

- **(a) Xth Marksheet/Certificate Photo copy (for age verification)**
- **(b) XIIth Marksheet Photo copy and original only for verification**
- **(c) CLC/Migration original**
- **(d) Caste certificate (If applicable)**
- **(e) E.W.S certificate (If applicable)**
- **(f) Handicapped (If applicable)**
- **(g) Ward/NCC/NSS/Cultural/Ward of Army/Ex-Army (If applicable as per requirement)**

(3) किसी विद्यार्थी द्वारा भरे गए आवेदन (**Application**) में पाये जाने वाली छोटी–मोटी त्रुटियाँ जैसे–

- **(a)** पिता का नाम **(Father's Name),**
- **(b)** माता का नाम **(Mother's Name)**
- **(c)** जन्मतिथि **(Date of Birth)**
- **(d)** धर्म **(Religion)**

आदि में सुधार **Validation** के समय महाविद्यालय के द्वारा स्वंय ही किया जा सकता है। महाविद्यालय के द्वारा जैसे ही किसी विद्यार्थी का नामांकन **validate** किया जाता है तो उसी समय विद्यार्थी के **Registered** मोबाईल नम्बर पर विश्वविद्यालय के द्वारा नामांकित **(Admitted)** होने का सन्देश **(message)** दिया जाता है। यदि ऐसा नही होता है तो विद्यार्थी अपने नामांकन वाले महाविद्यालय में जाकर सुनिश्चित हो लेंगे कि उनका नामांकन **validate** हुआ है अथवा नही।

(4) **Admission & Registration** से संबंधित विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या यदि रह जाती हो तब उनके समाधान हेतु विद्यार्थी अपना आवेदन महाविद्यालय को देंगे तथा महाविद्यालय उन आवेदन पत्रों को अपने स्तर से प्राप्त कर त्रुटि सुधार हेतु विश्वविद्यालय में भेज देंगे। विद्यार्थियों को त्रुटि सुधार के लिए आवेदन सीधे विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था नही है। ये सारी जबावदेही संबंधित महाविद्यालय को दिया गया है।

09/06/25

डी.एस.डब्लू.

Vijay
9/6/2025